उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठः जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक 6/51.89/ जबलपुर, दिनांक 30/10/2018

श्री कमल सिंह खींची, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर को लिफ्टमैन के पद पर वेतन बैंड–1 में वेतनमान रू. 5200–20200 ग्रेड पे रू. 1900/– में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित परिवीक्षा पर 2 वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की स्थापना पर पदोन्नत/नियुक्त किया जाता है।

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदौर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविधालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियॉ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरूद्व असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।
4. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
6. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
7. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

.............2

8. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी ।

9. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तो में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा ।

10. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।

11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शपथ–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

26/10/18

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
for रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 6/S/90/ जबलपुर, दिनांक 30/10/2018

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदौर, इंदौर(म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु,
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर,
5. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. सहायक स्था./अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री कमल सिंह खींची, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5191/ जबलपुर, दिनांक 30/10/2018

श्री मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड–एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के सहायक ग्रेड–एक के काडर में श्रीमती करूणा दावरे, सहायक ग्रेड–एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के नाम के ऊपर एवं श्री सुशील कुमार वैद्य, सहायक ग्रेड–एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के नाम नीचे वरिष्ठता निर्धारित की जाती है ।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

26/10/18
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5192/ जबलपुर, दिनांक 30/10/2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, (म.प्र.),
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर,
3. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1,2, एवं 3/डी.ई/आई.एल/व्ही./ई/पी.पी.एस. /निरीक्षण एवं सतर्कता/एक्जाम एंड लेबर ज्यूडीशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड में अपलोड कराने हेतु,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार .... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार...................... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/ आई.एल.आर. एवं एक्जाम/सतर्कता) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. श्री मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड–एक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर म.प्र.,
14. श्रीमती करूणा दावरे, सहायक ग्रेड–एक, उच्च न्यायालय,मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.
15. श्री सुशील कुमार वैद्य, सहायक ग्रेड–एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठः जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5157/ जबलपुर, दिनांक 30/10/2018

निम्नलिखित भृत्यों को लिफ्टमैन के पद पर वेतन बैंड–1 में वेतनमान रू. 5200–20200 ग्रेड पे रू. 1900/– में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित परिवीक्षा पर 2 वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई पदस्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत/नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	नाम एवं पदनाम	पदस्थापना का स्थान
1.	श्री अरविंद कुमार दुबे, भृत्य	मुख्यपीठ जबलपुर
2.	श्री रामशंकर धगट, भृत्य	मुख्यपीठ जबलपुर
3.	श्री सुनील कुमार कोरी, भृत्य	मुख्यपीठ जबलपुर
4.	श्री सऊद अहमद, भृत्य	मुख्यपीठ जबलपुर
5.	श्री शेषमणि काछी, भृत्य	मुख्यपीठ जबलपुर

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

2. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविघालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियॉ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरूद्व असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।

4. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

5. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

6. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

.............2

7. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

8. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी ।

9. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तो में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा ।

10. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।

11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शपथ–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार
26/10/18
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5185/ जबलपुर, दिनांक 30 /10/2018

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सहायक स्था./अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. श्री अरविंद कुमार दुबे, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. श्री रामशंकर धगट, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. श्री सुनील कुमार कोरी, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. श्री सऊद अहमद, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. श्री शेषमणि काछी, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)